महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
१, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग , नई दिल्ली – ११०००१
आर्थिक सहायता अनुभाग

2 0 MAR 2018

F.No.40(18)/WCD/FAS/V.S /2017-18

54327

अता. प्रश्न संख्या – 201
दिनांक – 22.03.18
प्रश्नकर्ता का नाम – श्री महेंद्र गोयल
विभाग का नाम – महिला एवं बाल विकास विभाग
विभाग का पत्ता – 1 पंडित रवि शंकर शुक्ल लेन, के. जी. मार्ग, नईं दिल्ली - 110001
क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	विधवा महिला की कितनी अधिकतम आयु हो कि वह विधवा आर्थिक सहायता के लिये आवेदन कर सके;	विधवा पेंशन के लिए आवेदक की आयु अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष से जीवनपर्यन्त निर्धारित की गई हैं ।
(ख)	क्या यह सत्य हैं कि विधवा की पुत्री को मिलने वाली सहायता उस स्थिति में नहीं मिलती हैं जिसमे उसके पति की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती हो ।	विधवा पेंशन तथा विधवा की पुत्री के विवाह के आवेदन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं ।
(ग)	यदि विधवा पेंशन या उसकी पुत्री की शादी के लिए सहायता के लिए आवेदनकर्ता के पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र न हो तो क्या उसके स्थान पर अन्य कोनसा प्रमाण पत्र लगाकर योजना का लाभ लिया जा सकता हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करें ।	मृत्यु के प्रमाण हेतु निम्न प्रलेख स्वीकार्य है:- 1.दाह भूमि/कब्रिस्तान प्राधिकरण / प्राधिकरण द्वारा जरी रसीद : 2.मृत्यु के समय अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र 3.यदि दिल्ली के बाहर या किसी गांव में मृत्यु हुई हो, और दाह भूमि की कोई रसीद नहीं हैं,गाँव के स्थानीय प्रधान का प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जायेगा; 4.शव परीक्षा रिपोर्ट, 5.कोई अन्य प्रलेख,जो पति की मृत्यु, मृत्यु का समय, तिथि स्थान स्पष्टत: सिद्ध करता हैं।

Department of Women & Child Development
1-A, Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi